"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2009—श्रावण 29, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5690/152/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटियां, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004)."

धारा 15 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जावे, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि, इस धारा के अधीन ऐसा नियुक्त कुलपति 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा.".

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5690/152/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2009)

THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2009

An Act further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, Extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2009.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definition.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
"Principal Act" means the "Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004)."

Amendment of Section -15.

3. In Section-15 of the Principal Act, after the first proviso, the following proviso shall be added namely :—
"Provided further that the Kulpati so appointed under this section shall not hold office after attaining the age of 70 (Seventy) years."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.